न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–98 सन् 2021

निरंजन कुमार गुप्ता.....वादी।

बनाम

बजरंगी साह वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक–27.09.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 वो भी दफा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 07.01.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 08.10.2021 को अपना बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। बयान तहरीरी के कंडिका 25 में निठालु साह के एक पुत्र रामेश्वर साह का नाम दर्ज किया गया है परंतु बयान तहरीरी के पेज नं0 07 पर निठालु साह के पुत्र रामेश्वर साह का नाम दर्ज होना भुलवश टंकक की गलती से छुट गया है। न्यायहित में निठालु साह के पुत्र रामेश्वर साह का नाम कुर्सीनामा में दर्ज होना जरूरी है। अतः निवेदन है कि बयान तहरीरी के पेज नं0 07 पर कुर्सीनामा में निठालु साह के पुत्र रामेश्वर साह का नाम दर्ज करने की कृपा प्रदान की जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 04.02.2022 को दाखिल किया गया है, जिसमें उनका कथन है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आदेश 06 नियम 17 का आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी बयान तहरीरी में संशोधन के माध्यम से लेकुना को भरने के वास्ते दाखिल किया है जो स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन दाखिल अपने बयान तहरीरी के पेज नं0 07 में निठालु साह के एक पुत्र रामेश्वर

साह का नाम भूलवश छुट गया है जिसके संशोधन हेतु यह आवेदन दाखिल किया गया है जो औपचारिक प्रकृति का है। प्रतिवादी द्वारा संशोधन आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादी द्वारा बयान तहरीरी में संशोधन होने से वाद के स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 07.01.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।